

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

✓अपील संख्या -865/2015/जोधपुर

1. मैसर्स दिलिप ट्रेडर्स, कमला नेहरू नगर, जोधपुरअपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त, वृत्त-ई, जोधपुरप्रत्यर्थी.

अपील संख्या -866/2015/जोधपुर

2. मैसर्स पी.पी. टिम्बर एण्ड हार्डवेयर, ए रोड, जोधपुरअपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त, वृत्त-ई, जोधपुरप्रत्यर्थी.

अपील संख्या -867/2015/जोधपुर

3. मैसर्स राजपुताना एग्रीको, पावटा, ए रोड, जोधपुरअपीलार्थी.

बनाम्

सहायक आयुक्त, वृत्त-ई, जोधपुरप्रत्यर्थी.

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामविलास सोनी

अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी. ओझा

उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 09.12.2016

निर्णय

1. उक्त तीनों अपीलें अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा गया है) के अपील सं. क्रमशः 27, 50 तथा 48/आरवैट/जेयूए/2013-14 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.12.2014 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर नियम, 2006 को आगे "नियम" कहा जायेगा।
2. उक्त प्रकरणों के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 का वार्षिक विवरण पत्र वेट-10A निर्धारित समयावधि में कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर अपीलार्थी व्यवहारियों के विरुद्ध कर निर्धारण द्वारा विवरण प्रपत्रों को विलम्ब से मानते हुए क्रमशः 27,700/-, 24,800/- तथा 22,800/- रुपये का विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण किया। कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत अपीलें में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30.12.2014 को संयुक्त आदेश पारित किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 30.12.2014 से व्यथित होकर वर्तमान अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।


09/12/16

लगातार.....2.

3. उक्त तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु समान होने के कारण उक्त तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।
4. अपीलार्थी व्यवहारियों के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत अपीलार्थी व्यवहारियों के विरुद्ध विलम्ब शुल्क का आरोपण किया गया है, वह विधि विरुद्ध है क्योंकि अधिनियम की धारा 21 में विलम्ब शुल्क का आरोपण नहीं किया जा सकता। आगे यह कथन रहा है कि विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर विधिक प्रावधानों के अनुसार विवरण पत्र प्रस्तुत की अंतिम तिथि से 9 माह के भीतर केवल धारा 22 में करारोपण ही किया जा सकता है। नियम 19ए को उद्धृत कर जाहिर किया कि विलम्ब शुल्क केवल विवरण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय बनता है। विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर विलम्ब शुल्क के आरोपण का कोई प्रावधान नहीं है।
5. अपीलार्थी व्यवहारियों के विद्वान अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि नियम 19(10) के अनुसार यदि विवरण पत्र बिना कर, ब्याज एवं विलम्ब शुल्क के प्रस्तुत किया जाता है तब यह माना जायेगा कि विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है उक्त कर निर्धारण धारा 22 के अपेक्षा धारा 24(4) में किया जाना था एवं धारा 24 के अंतर्गत कर निर्धारण बिना समुचित अवसर प्रदान किये संपूरित नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा यह भी कथन किया है कि बिना रिटर्न के विलम्ब शुल्क का निर्धारण संभव नहीं है। विलम्ब शुल्क का अभिनिर्धारण करदाता स्वयं अपना विवरण पत्र पेश करने पर अपनी मंशा से पालना हेतु है, न कि कानूनी अधिकारिता द्वारा बाध्य किया जाकर अभिनिर्धारित किया जा सकता है। अतः अपीलार्थी व्यवहारियों के विद्वान अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित विलम्ब शुल्क एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करते हुए अपीलार्थी व्यवहारियों की अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये:-

1. राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 209/2007 में सहायक आयुक्त वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, कोटा बनाम मैसर्स इण्डिया ट्यूब मिल्स एवं मेटल इण्डस्ट्रीज लि, कोटा के निर्णय दिनांक 16.04.2012
2. Rajasthan High Court Civil Writ Petition No. 11426/2009 Hindustan Zine Ltd. V/s State of Rajasthan and anr. Dated 19-12-2011 (Tax up Date Vol 32 part 5 march 1-15, 2012)
3. Board of Revenue for Rajasthan Ajmer Special Appeal No. 157/76 Commercial Taxes Officer Sri Ganganagar V/s Ms Topan Das Shiv Lal, Raisingnagar Dated 21-04-1980.

Amr Singh
09/12/16

लगातार.....3.

4. The Supreme Court of India Civil Appeal No 1390/2003 Orient Paper & Industries Ltd. Versus State of M.P. and ors Dated 9-11-2006
6. राजस्व की ओर से उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया कि अधिनियम धारा 21 में संशोधन व नियम 19ए जोड़े जाने के पश्चात् विवरण पत्रों की देरी के लिए विलम्ब शुल्क अभिनिर्धारण करने हेतु विधायिका की मंशा अनुसार अवसर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी व्यवहारियों द्वारा 10ए विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया। इसके बावजूद कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अवसर प्रदान किया गया तथा कर दायित्व में कोई वृद्धि नहीं की गयी। अतः राजस्व की विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिरोपित विलम्ब शुल्क को विधि सम्मत बताते हुए विलम्ब शुल्क को यथावत रखने का निवेदन किया। राजस्व के उप राजकीय अभिभाषक द्वारा आगे कथन किया गया कि उक्त तीनों प्रकरणों में अपीलार्थी व्यवहारियों को सम्मत जारी कर वार्षिक विवरण प्रपत्रों को जमा कराने के निदेशों के बावजूद वार्षिक विवरण पत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये। मायारानी पूंज के न्यायिक दृष्टांत के अनुसार भी व्यतिक्रम रिटर्न फाईल होने तक या निर्धारण आदेश पारित किये जाने तक निरन्तर जारी रहता है। अतः प्रत्यर्थी राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।
7. उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा लिखित बहस व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वर्ष 2011-12 की अवधि के समस्त विवरण पत्र वेट-11 सहित प्रस्तुत करने की समयावधि अधिसूचना क्रमांक F.16(375)Tax/CCT/2006/Pt.-1/1995, दिनांक 06.03.2013 द्वारा 30.04.2013 एवं वार्षिक विवरण पत्र वेट-10ए की समयावधि अधिसूचना क्रमांक F.16(375)Tax/VAT/CCT/2006/Pt.-1/232, दिनांक 15.05.2013 द्वारा दिनांक 27.05.2013 तक के लिए बढ़ाई गई थी। अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2011-12 का वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट-10A निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है:-

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थी	वर्ष 2011-12 वेट-10ए प्रस्तुत करने की नियत तिथि	वेट-10ए प्रस्तुत करने की तिथि	कर निर्धारण आदेश	विलम्ब अवधि (दिनों में)	वेट अधिनियम के अधीन विलम्ब शुल्क (रु.)
1	865/2015	मै. दीलिप ट्रेडर्स,	27.05.13	Not Produced	28.02.2014	277	27,700/-
2	866/2015	मै. पी.पी. टिम्बर	27.05.13	Not Produced	31.01.2014	248	24,800/-
3	867/2015	मै. राजपुताना एग्रीको	27.05.13	Not Produced	15.01.2014	228	22,800/-

लगातार.....4.

Amr-2015/16
09/12/16

8. विवरण पत्रों के प्रस्तुत करने के संबंध में प्रावधान इस अधिनियम की धारा 21 तथा नियम 19 एवं नियम 19ए में निम्न प्रकार उपबंधित है:-

Sec. 21 FILLING OF RETURN -

- (i) *Every registered dealer shall assess his liability under this Act, and shall furnish return, for such period, in such form and manner, and within such time and with such late fee not exceeding fifty thousand rupees, for delayed furnishing of returns, as may be prescribed, to the assessing authority or to the officer authorized by the Commissioner.*
- (ii) *Any person or a dealer as may be required by a notice to do so by the Assessing authority or by an officer authorized by the Commissioner in this behalf, shall furnish return for such period in such form and manner and within such time as may be specified.*
- (iii) *Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where (the Commissioner) is of the opinion that it is expedient in the public interest so to do may be a notification in the Official Gazette extend the date of submission of the returns or may dispense with the requirement of filing any or all the returns by a dealer or class of dealers.*
9. नियम 19(1) से 19(10) तक विवरण पत्र किन को किस प्रकार से पेश करने की स्थिति स्पष्ट की गयी है, जिसमें व्यवसाइयों के लिए त्रैमासिक व वार्षिक विवरण पत्र एवं किन व्यवसाइयों को केवल वार्षिक विवरण पत्र प्रस्तुत करना है का उल्लेख किया गया है तथा विवरण पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निर्धारित की है। जिसमें से नियम 19(1) एवं 19(10) का यहा पर उल्लेख किया जाना समीचीन होगा जो निम्न प्रकार है:-

Rule 19 (1) The return referred to in sub-section (1) of section 21 of the Act shall be submitted by a dealer in Form VAT-10, VAT-10A and VAT-11, as the case may be.

Rule 19(10) :- *Where a dealer has failed to deposit due tax within the period notified under section 20 or has failed to submit a return within the period prescribed under section 21, in such cases, return(s) shall be submitted along with proof of deposit of due tax, late fee and interest, if any. Where such proof is not submitted, it shall be deemed to be case of non-filing of the return.*

01-04-2012 to 31-03-2013 (sub. by the Rajasthan Value Added Tax (Second Amendment Rule) Rules 2012 (S.No. 2905 dated 30-03-2012)

"19A Late Fee :- *Where a dealer furnishes the return after the prescribed time, he shall pay a late fee of - (i) rupees one hundred per day subject to a maximum of rupees fifty thousand in case the dealer is required to pay tax for each month or part thereof under section 20 of the Act; and (ii) rupees fifty per day subject to a maximum of rupees five thousand, in all other cases."*

am 20/11/16

10. इस अधिनियम की धारा 58 **Penalty for failure to furnish return** से संबंधित थी जिसे Rajasthan Finance Act, 2011 द्वारा Delete किया गया तथा विलम्ब शुल्क (Late Fee) से संबंधित प्रावधान नियम 19A (RVAT Amendment) 2011 से जोड़ा गया, जो दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी था। इस प्रकार कर निर्धारण वर्ष 2011-12 की अवधि के लिए अधिनियम की धारा 21 में संशोधन व नियम 19ए जोड़े (insertion) जाने के पश्चात् की अवधि के लिए विवरण प्रपत्रों की देरी के संबंध में विलम्ब शुल्क के प्रावधान लागू होंगे।
11. यहां यह उल्लेखनीय है कि अधिनियम की धारा 21 के प्रावधान बाध्यकारी (Mandatory) प्रावधान है। जिसके अनुसार व्यवहारियों को देय कर अदायेगी में विलम्ब के लिये ब्याज तथा विवरण प्रपत्रों को विलम्ब से प्रस्तुती के लिये विलम्ब शुल्क का विधि प्रावधानों के अनुसार अधीनिर्धारण कर विवरण प्रपत्र देय राशि के जमा के प्रमाण सहित पेश करना होता है। अधिनियम की धारा 22 के अनुसार देय कर जमा करवाने या विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर करारोपण का प्रावधान है। धारा 23 के अनुसार देय राशि जमा कराने के प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने पर कर निर्धारण किया गया माना जायेगा, जो कि धारा 24 के अध्याधीन (Subject to Provision) होगा। किन्तु वार्षिक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर कर का निर्धारण दिनांक 31.07.2014 के संशोधन के पश्चात् धारा 24(4) के अन्तर्गत किया जाता है। इस प्रकार धारा 32 के अनुसार कर निर्धारण आदेश में प्रावधान गलत अंकित होने मात्र से कर निर्धारण आदेश को दुषित नहीं माना जा सकता।
12. विधिक प्रावधानों की व्याख्या उनके बनाये जाते वक्त निहित उद्देश्य के अनुसार की जाना अपेक्षित व विधिसम्मत है। धारा 21 व नियम 19 तथा नियम 19ए के तहत प्रत्येक पंजीकृत व्यवसायी के लिए बाध्यकारी (mandatory) प्रावधान है कि देय कर, ब्याज आदि का व्यवसायी स्वयं आकलन कर समयावधि में जमा करावे एवं नियत समयावधि पश्चात् यह सुविधा भी प्रदान की गयी है कि देरी के लिए विधिक प्रावधानों के अनुसार मय देरी राशि जमा करवा कर विवरण पत्र पेश करें। धारा 21 व नियम 19 एवं नियम 19ए के प्रावधान आज्ञापक (Mandatory) प्रकृति के है। जो अपने आप में परिपूर्ण एवं स्पष्ट है। उक्त विधिक प्रावधानों में उनकी पालना नहीं करना अथवा विलम्ब से करना, दोनों समाहित है। अपीलार्थियों के कर दायित्व अथवा पण्यार्वत में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। विलम्ब शुल्क व्यवसायी द्वारा स्वयं अभिनिर्धारित किया जाकर स्वयं द्वारा जमा करवाकर विवरण पत्र प्रस्तुत करने के दायित्व को परिपूर्ण नहीं करने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिनिर्धारण किया जाना विधिसम्मत है।

Amr...
09/12/16

13. इस प्रकार विधिक प्रावधान बनाए जाने का हेतु, उनके उद्देश्य के अनुरूप ही पालना की जाना अपेक्षित है। विधिक प्रावधानों की अवहेलना करने वालों को प्रोत्साहन देना किसी भी विधि का उद्देश्य नहीं है। इस संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा यह निर्णित किया जाता है कि विधिक प्रावधानों में प्रयुक्त शब्दों को पूर्ण प्रभावी तरीके से लागू किया जावे, साथ ही विधिक प्रावधानों में प्रयुक्त शब्दों का उपयोग उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए जिस उद्देश्य के लिए वे बनाए गए हैं। धारा 58 विलोपित करने एवं नियम 19ए जोड़े जाने का उद्देश्य भी non submission of return or/and late submission of returns एक व्यतिक्रम (default) होने से विलम्ब शुल्क का दायी है एवं ऐसे मामलों में विलम्ब शुल्क का अभिनिर्धारण नहीं करने पर विधायिका की मंशा असफल (defeat) हो जाती है। विधिक प्रावधानों में व्यवसायी को स्वयं के दायित्वों यथा-देयकर, ब्याज, विलम्ब आदि के अभिनिर्धारण की पूर्ण सुविधा प्रदान कर पालना हेतु विश्वास किया गया है, साथ ही व्यवसायी से सद्भावी मंशा के साथ विधिक प्रावधानों की पालना अपेक्षित की गयी है।
14. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा कथन प्रस्तुत किया गया कि यदि अपीलार्थी जो अपना विवरण पत्र देरी से प्रस्तुत करेगा तो ही उसका विलम्ब शुल्क जमा करवाने का दायित्व है एवं विवरण पत्र प्रस्तुत ही नहीं करे तो उस पर किसी प्रकार का विलम्ब शुल्क का दायित्व नहीं है यह व्याख्या करना विधि की मंशा के विरुद्ध है। यह कथन नियम की व्याख्या के संदर्भ में अवज्ञाकारी है। तदनुरूप नियमविहित आवश्यकताओं की पालना नहीं करने पर विहित दायित्व की प्रतिकूलता दृष्टिगोचर होती है। विधि की यह मंशा नहीं हो सकती है कि इसके प्रावधानों की पालना नहीं करने वालों को प्रोत्साहित करें तथा पालना करने वालों को हतोत्साहित करें इससे तो विधिक अराजकता पैदा होगी। अतः विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर विलम्ब शुल्क देय नहीं होने का कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।
15. हस्तगत प्रकरणों में कर निर्धारण तक वार्षिक विवरण प्रपत्र वेट-10A पेश नहीं करने के संबंध में है। प्रत्येक व्यवसायी से अपेक्षा की जाती है कि वह विधिक प्रावधानों की पालना करें, विधिक प्रावधानों की पालना नहीं कर स्वैच्छिक दायित्व परिपूर्ण नहीं करने वालों के लिए विलम्ब शुल्क का कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिनिर्धारण किया जाना विधिसम्मत है।
16. माननीय उच्चतम न्यायालय के मायारानी पुंज के निर्णय (1986) 157 आई.टी.आर. 330 के अनुसार विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब के बिन्दु पर शास्ति आरोपण के विषय में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में चालू रहने वाला व्यतिक्रम उस दिन

Amr Kumar
09/12/16

समाप्त होता है, जिस दिन विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है या जिस दिन कर निर्धारण आदेश पारित किया जाता है। विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब हेतु शास्ति के प्रावधान व्यतिक्रम समाप्त होने वाले दिन जो प्रभावशील है, वे लागू होंगे। विलम्ब के परिणामस्वरूप भुगतान योग्य दायित्व किसी भी नाम से होने पर यह सिद्धान्त लागू होता है। अतः इस आधार पर विलम्ब शुल्क जमा कराने का दायित्व Consequential Quantification किये जाने योग्य है। यह व्यतिक्रम विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने की विहित अंतिम तिथि से प्रारम्भ होता है तथा जिस तिथि को विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया जाता है, उस तिथि को व्यतिक्रम समाप्त होता है। उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार भी यदि विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तब व्यतिक्रम कर निर्धारण आदेश की तिथि को समाप्त होगा। जिस तिथि को निरन्तर रहने वाला व्यतिक्रम समाप्त होता है, उस दिन जो विलम्ब शुल्क के जो प्रावधान प्रभावी हैं, उस विलम्ब शुल्क के प्रावधान के अनुसार विलम्ब शुल्क की राशि Quantify की जावेगी।

17. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की यह अपात्ति रही है कि विलम्ब शुल्क अधिरोपित करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि नियम 48 के अनुसार शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व व्यवहारी को सुनना आज्ञापक है। लेकिन वर्तमान प्रकरण में विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया गया है, न कि शास्ति। विलम्ब शुल्क के आरोपण से पूर्व नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वार्षिक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर व्यवहारी को कर निर्धारण से पूर्व नोटिस भी दिया गया था। अतः अपीलार्थी द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं करने की आपत्ति सारहीन है। अपीलार्थी की ओर से अपनी लिखित बहस में उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरणों के तथ्यों एवं परिस्थितियों से भिन्न होने के कारण अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करते हैं।


18. इस प्रकार वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT-10A प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि दिनांक 27.05.2013 थी। किन्तु व्यवहारियों द्वारा उक्त विवरण प्रपत्र कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने के समय तक प्रस्तुत नहीं किये गये थे। अपीलार्थी व्यवहारियों को नियम 19ए की पालना में विहित लेट फीस का भुगतान करना है। यह लेट फीस विहित समयावधि के पश्चात् विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करने या कर निर्धारण तक विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करने का पारिणामिक (Consequential) प्रभाव का परिणाम है। लेट फीस स्वमेव पारिणामिक दायित्व है, जिसकी गणना उसके कर जमा कराने की श्रेणी के आधार पर की जायेगी। वर्ष 2011-12 के लिये प्रवर्तनीय

लगातार.....8.

Amr Kumar
09/12/16

नियम 19ए के प्रावधानों के अनुसार मासिक कर दाता की श्रेणी में होने पर यह विलम्ब शुल्क 100/- रुपये प्रतिदिन जो अधिकतम रुपये 25,000/- तक हो सकेगा तथा मासिक करदाता की श्रेणी में नहीं होने पर लेट फीस 50/- रुपये प्रतिदिन जो अधिकतम रुपये 5,000/- हो सकेगा।

19. अपीलार्थी व्यवहारी मासिक करदाता है अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार नियम 19A के प्रावधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त वर्ष 2011-12 की वार्षिक विवरण प्रपत्र VAT- 10A प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण विलम्ब शुल्क का आरोपण करने में कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पी.पी. टिम्बर एण्ड हार्डवेयर, जोधपुर एवं मैसर्स राजपुताना एग्रीको जोधपुर के विरुद्ध नियम 19ए के अधीन राशि क्रमांशः 24,800/- तथा 22,800/- रुपये विलम्ब शुल्क आरोपित करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी। किन्तु अधिकतम विलम्ब शुल्क 25,000/- तक ही आरोपित किया जा सकता है। इस लिये मैसर्स दिलिप ट्रेडर्स जोधपुर के विरुद्ध जो विलम्ब शुल्क 27,700/- रुपये आरोपित किये जाने में तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है उसके स्थान पर 25,000/- रुपये विलम्ब शुल्क के आरोपण को विधिसम्मत मानकर यथावत रखने में अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटिकारित नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.12.2014 विधि सम्मत होने से उसकी पुष्टि की जाती है।
20. परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती है।
21. निर्णय सुनाया गया। आदेश की प्रति सभी पत्रावलियों पर पृथक-पृथक रखी जावें।


 (राजीव चौधरी)
 सदस्य